

# कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांक:- 2375 / 12-1 , दिनांक, पौड़ी, अप्रैल, 16 2022.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी  
गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी।

विषय:- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.एच. 119/ 534 किमी 196.00 से 276.00 सतपुली -श्रीनगर तक दो लेन सड़क चौड़ीकरण हेतु 32.553 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग लो०नि०वि० श्रीनगर को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- आपकी पत्र सं० 3354/12-1 दिनांक 16.04.2022  
महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से विषयांकित मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा चाही गई आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गई है का अध्ययन करने पर निम्न कमियाँ हैं।

- 1- बिन्दु सं० 6 में वन अधिकार अधिनियम 2006 की कार्यवाही हेतु वर्ष 2016-17 में हुई बैठक का कार्यवृत्त अन्तिम रूप से नहीं है अंकित किया गया है के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें।
- 2- बिन्दु सं० 7 में संलग्न VLC व SDCL से सम्बन्धित अधिकांश प्रमाण पत्र अपठनीय है तथा दिनांक भी अंकित नहीं है जिससे प्रस्ताव को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उच्चस्तर को प्रेषित नहीं किया जा सकता है।

अतः आप सम्बन्धित प्रस्तावक विभाग के प्रतिनिधि को प्रभागीय कार्यालय में बुलाकर प्रमाण पत्रों को सही करवाते हुये प्रस्तावक विभाग के प्रतिनिधि के माध्यम से आज ही प्रस्ताव इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- प्रस्ताव 4 प्रतियों में।

भवदीय,

(एन०एन०पाण्डेय)  
वन संरक्षक

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांक:- दिनांकित

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि० श्रीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

(एन०एन०पाण्डेय)  
वन संरक्षक

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।